

2.9.24

पत्रावली वास्ते निर्णय देना।
 शर्मा - पत्र के तद्विधे भूमि
 खसरा संख्या 310 व
 314/2756 वाले ग्राम
 सोधोर कोतवाड में ही पत्परगनी
 चाही है परन्तु खसरा संख्या
 314/2756 का सीमाज्ञान
 नहीं दिया गया है व
 उक्त भूमि जिसके इलाक़ों
 के इलाके में है उनमें व
 वर्तमान सह खातेदारों को
 पक्षबाद नहीं बनाया गया है।
 अतः वर्ण सीमाज्ञान ^{इलाके बिना} व
 बिना हिसाब पक्षबादों को
 सुने बिना पत्परगनी मादेय
 नहीं जारी किया जा सकता।
 अतः उपरोक्त के अभाव
 में वर्तमान शर्मा - पत्र
 खारिज दिया जाता है।
 पत्रावली के मातल मुताबिक
 नम्बर से रकम वे, नखिय
 पत्पर वे।

